रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275165
SG-DL-E-04082026-275165

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 136
No. 206]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948	[N. C. T. D. No. 136

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त विभाग

(पब्लिक फाइनेंस सेल)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

फा. स. F.FIN-PF/2/2026-PF-FD/345812/209.— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के उप-राज्यपाल, 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के , गारंटी मोचन निधि के गठन और प्रशासन की योजना' के नाम से जानी जाने वाली निम्नलिखित योजना को बनाने की मंज़ूरी देते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गारंटी मोचन निधि के गठन एवं प्रशासन हेतु योजना

योजना का शीर्षक	1.	इस योजना को 'गारंटी मोचन निधि (तत्पश्चात निधि के रूप में संदर्भित) योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार' कहा जाए।

निधि का गठन **2.** 'गारंटी मोचन निधि' का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (तत्पश्चात 'सरकार' कहा जाएगा) द्वारा राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

निधि का लोक लेखा में गठन किया जाएगा और सरकार के खातों में "मुख्य शीर्ष– 8235 – सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि; उप- मुख्य शीर्ष – 00; लघु शीर्ष – 117 - गारंटी मोचन निधि" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य **3.** इस निधि का उपयोग राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बांडों एवं अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा तथा लाभार्थियों द्वारा लागू किया गया।

स्पष्टीकरण:

(क) निधि में संचित धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाएगा जिन्हें लाभार्थी द्वारा लागू किया गया हो और जिनका भुगतान उस संस्था द्वारा नहीं किया गया हो जिसके पक्ष में गारंटी दी गई थी।

(ख) राज्य, अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन को पूरा करने के लिए, गारंटी मोचन निधि में किए गए निवेश के संपार्श्विक के निमित्त भारतीय रिज़र्व बैंक (तत्पश्चात बैंक के रूप में संदर्भित) से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के अंतर्गत अल्पकालिक सहायता प्राप्त कर सकता है, जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

योजना के संचालन का प्रारंभ 4. यह योजना अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

निधि में अंशदान **5.** (क) सरकार को निधि की स्थापना की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि में बकाया गारंटियों के पाँच प्रतिशत तक गारंटी मोचन निधि की राशि बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

(ख) सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अपनी विवेकानुसार तथा गारंटियों के संभावित लागू होने के आकलन के आधार पर निधि में अंशदान बढ़ा सके। निधि में शेष राशि को वार्षिक या उससे कम अंतराल पर किए जाने वाले आवधिक अंशदानों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा।

(ग) निधि में कुल अंशदान के हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए, सरकार बजट के राजस्व व्यय भाग में "मुख्य शीर्ष – 2075 - विविध सामान्य सेवाएं; उप- मुख्य शीर्ष– 00; लघु शीर्ष – 797 आरक्षित निधि / जमा खाते में हस्तांतरण; 99 - गारंटी मोचन निधि, 00, वस्तु शीर्ष 63 - अंतर-खाते में हस्तांतरण" के अंतर्गत उपयुक्त बजटीय प्रावधान करेगी।

(घ) सरकार निधि में अपना अंशदान बैंक से उधार लेकर नहीं करेगी।

निधि का सामान्य राजस्व / लोक लेखा के साथ संबंध

6. **(क)** निधि की राशि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रारंभिक राशि, सरकार द्वारा किए गए वार्षिक या अन्य अंशदान जिसमें उन संस्थाओं से एकत्रित किये जाने वाले गारंटी कमीशन के रूप में होने वाली आवधिक वृद्धि शामिल होगी, जिनकी बांड/देयताओं के संबंध में सरकार गारंटी प्रदान करती है, साथ ही निधि से अर्जित आय भी इसमें सम्मिलित होगी।

(ख) यह निधि सरकार के सामान्य राजस्व से अलग रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल इस योजना में निर्धारित तरीके से ही किया जाएगा।

निधि का संचालन

7. निधि का संचालन बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग द्वारा किया जाएगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों के अधीन होगा।

निधि की राशि का निवेश

8. निधि में होने वाली वृद्धि, निधि के निवेश से अर्जित आय को भारत सरकार (जीओआई) की दिनांकित प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों तथा अन्य राज्यों की राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिपक्वता अवधि के अनुसार निवेश किया जाएगा। बैंक निवेश के लिए प्रतिभूतियां या तो अपने निवेश पोर्टफोलियो से उपलब्ध कराएगा या द्वितीयक बाजार से प्रतिभूर्तियां प्राप्त करेगा, अनुच्छेद 11 में उल्लिखित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं लगाएगा।

लेन-देन का लेखांकन

9. **(क)** निधि के प्रशासन का उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। सरकार निधि की राशि के निवेश, पुनर्निवेश/विनिवेश, दायित्वों तथा निधि के उपयोग से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेगी।

(ख) सरकार समय-समय पर बैंक को निर्देश जारी करेगी। बैंक आवश्यक निवेश की व्यवस्था तुरंत करेगा। बैंक सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निवेश तथा अन्य आकस्मिक शुल्क जैसे ब्रोकरेज, कमीशन आदि के संबंध में सरकार को सूचीपत्र भेजेगा। यद्यपि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश के लेन-देन अन्य लेन-देन के साथ मिश्रित न हों, इन्हें अलग-अलग सूचीपत्रों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(ग) सूचीपत्रों के प्राप्त होने पर निवेश के लेन-देन का लेखांकन "प्रमुख शीर्ष – 2075 - विविध सामान्य सेवाएं; उप- मुख्य शीर्ष – 00; लघु शीर्ष – 797 आरक्षित निधि / जमा खाते में हस्तांतरण; वस्तु शीर्ष 63 - अंतर-खाता हस्तातंरण" के अंतर्गत किया जाएगा। यद्यपि, ब्रोकरेज, कमीशन आदि जैसे आकस्मिक शुल्क को निधि पर व्यय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(घ) बैंक देय तिथि पर इन प्रतिभूतियों पर ब्याज एकत्र कर उसे निधि में जमा करेगा। इसके अतिरिक्त इस राशि का निवेश भी सरकार के अंशदान की तरह ही किया जाएगा, अर्थात् उक्त अनुच्छेद 8 में निर्धारित निवेश मानदंडों के अनुसार।

(ङ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्राप्त राशि एकत्र कर सरकार के खाते में जमा की जाएगी या सरकार के निर्देशों के अनुसार उक्त अनुच्छेद 8 में उल्लिखित पैटर्न के अनुसार पुनर्निवेश किया जाएगा। नामे सूचीपत्र की तरह, प्राप्तियों के लिए भी बैंक अलग सूचीपत्र का उपयोग करेगा।

(च) सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर बैंक प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियों की बिक्री की व्यवस्था करेगा और आकस्मिक शुल्क घटाकर प्राप्त राशि सरकार के खाते में जमा करेगा। यदि इन प्रतिभूतियों में हानि होती है, तो बैंक सरकार से परामर्श कर यह निर्णय ले सकता है कि किन प्रतिभूतियों को परिसमाप्त किया जाए।

(छ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता या बिक्री से प्राप्त राशि "गारंटी मोचन निधि निवेश खाता" में जमा की जाएगी। प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित आकस्मिक शुल्क को निधि पर व्यय के रूप में लिया जाएगा।

(ज) गारंटी मोचन से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सरकार के बजट में संबंधित शीर्षों के अंतर्गत किया जाएगा। केवल वास्तविक गारंटी मोचन व्यय को ही राजस्व व्यय शीर्ष "मुख्य शीर्ष – 2075 - विविध सामान्य सेवाएं; उप- मुख्य शीर्ष – 00; लघु शीर्ष – 800 अन्य व्यय - लागू की गई गारंटी के मूल्य का भुगतान" के अंतर्गत लेखांकित किया जाएगा।

(झ) बैंक परिपक्वता पर प्रतिभूतियों के मोचन की व्यवस्था करेगा। दावों के भुगतान से उत्पन्न देनदारियों को पूरा करने हेतु समयपूर्व विनिवेश की स्थिति में, बैंक यह निर्णय लेगा कि किन प्रतिभूतियों को परिसमाप्त किया जाए और उन्हें प्रचलित बाजार मूल्य पर बेचकर, आकस्मिक शुल्क घटाकर प्राप्त राशि सरकार के खाते में जमा करेगा। यदि इन प्रतिभूतियों में हानि होती है, तो बैंक सरकार से परामर्श कर यह निर्णय ले सकता है कि किन प्रतिभूतियों को परिसमाप्त किया जाए।

(ञ) सरकार बैंक को, बैंक द्वारा सरकार से परामर्श करके निर्धारित दर पर कमीशन का भुगतान करेगी। ये शुल्क भी निधि द्वारा वहन किए जाएंगे, जैसा कि अनुच्छेद 9(ग) और 9(छ) में उल्लिखित शुल्कों के मामले में है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वाला लाभ या हानि भी निधि के खाते में जमा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:

(क) इस प्रकार की निकासी के कारण सरकार पर जो नामे होगा, उसे "मुख्य शीर्ष – 8235 - सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि - 117 - गारंटी मोचन निधि – निवेश खाता" के अंतर्गत लेखांकित किया जाएगा। ऋण की परिपक्वता पर "8235 - सामान्य एवं अन्य

आरक्षित निधि - 117 - गारंटी मोचन निधि – निवेश खाता" के अंतर्गत शेष राशि को "8680-00-101 – खाता बही शेष समायोजन खाता" में जमा किया जाएगा।

(ख) बैंक सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निवेश से संबंधित नामे (आकस्मिक शुल्क घटाकर) सरकार को सूचीपत्र के माध्यम से भेजेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश के लेन-देन अन्य लेन-देन के साथ मिश्रित न हों, इन्हें अलग-अलग सूचीपत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(ग) बैंक निवेशों पर ब्याज एकत्र करने की व्यवस्था करेगा और देय तिथियों पर उसे निधि में जमा करेगा।

(घ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर बैंक उनके भुगतान की व्यवस्था करेगा और समयपूर्व विनिवेश की स्थिति में प्रतिभूतियों को प्रचलित बाजार मूल्य पर बेचकर, आकस्मिक शुल्क घटाने के बाद प्राप्त राशि को "गारंटी मोचन निधि निवेश खाता" में जमा करेगा। नामे सूचीपत्र की तरह, प्राप्तियों के लिए भी बैंक अलग-अलग सूचीपत्र का उपयोग करेगा।

(ङ) आवधिक अंशदानों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सरकार के बजट में संबंधित शीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा। निधि से वित्तपोषित किए जाने वाले व्यय की सीमा तक राशि को निवेशों के विनिवेश के माध्यम से निधि से निकाला जाएगा।

निधि का प्रबंधन करने वाले बैंक के कार्य

10. **(क)** बैंक, निधि के निवेश / पुनर्निवेश / विनिवेश / पुनः आवंटन / निकासी से संबंधित सभी मामलों में समय-समय पर सरकार के निर्देशों का पालन करेगा और उसी के अनुसार कार्य करेगा।

(ख) बैंक, अनुच्छेद 5 में निर्धारित अंशदान अनुसूची के अनुसार, अपने पास रखे गए सरकार के खाते में नामे प्रविष्टि करने की व्यवस्था करेगा।

(ग) निधि में किए गए अंशदानों का निवेश बैंक द्वारा अनुच्छेद 8 में उल्लिखित के अनुसार किया जाएगा। गारंटी कमीशन, सरकार के अंशदान और ब्याज आय के रूप में निधि में होने वाली आवधिक वृद्धि का निवेश भी इसी प्रकार किया जाएगा।

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष (31 मार्च तक) में जीआरएफ में उपलब्ध कुल निधि का 50 प्रतिशत या वर्ष (अप्रैल–मार्च) के दौरान लागू की गई गारंटियों की राशि—जो भी कम हो—को उस वर्ष के दौरान जीआरएफ से निकासी की अधिकतम पात्र सीमा निर्धारित करने के लिए माना जाएगा। अगली निकासी से पहले सरकार को कोर्पस को पुनः भरना होगा।

(ङ) बैंक, सरकार के परामर्श से समय-समय पर शेष राशि के विवरण / उसमें हुए परिवर्तनों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेगा।

निधि के संचालन हेतु सेवा शुल्क	**11.**	सरकार, निधि के टर्नओवर एक प्रतिशत के 1/8 प्रतिशत की दर से या समय-समय पर पारस्परिक सहमति से निर्धारित दर पर बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी।
लेखा एवं लेखा-परीक्षण	**12.**	निधि और उसके निवेशों के लेखे राज्य के मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संधारित किए जाएंगे। संबंधित सरकारी विभाग, मुख्य लेखा नियंत्रक से परामर्श करके आवश्यकतानुसार सहायक लेखे निर्धारित तरीके और विवरण में संधारित करेगा।
बचत	**13.**	योजना के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी करेगी। यदि योजना के किसी प्रावधान के संचालन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार संतुष्ट होने पर उन प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर सकती है।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के
उप-राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

संतोष द. वैद्य, प्रधान सचिव (वित्त)

FINANCE DEPARTMENT

(Public Finance Cell)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th July, 2026

No.F.FIN-PF/2/2026-PF-FD/345812/209.— The Lt. Governor of Government of NCT of Delhi is pleased to constitute the following scheme to be known as the Scheme for Constitution and Administration of the Guarantee Redemption Fund of Government of National Capital Territory of Delhi.

Scheme for Constitution and Administration of the

Guarantee Redemption Fund of Government of National Capital Territory of Delhi

Title of the Scheme	**1**	The Scheme shall be called 'Guarantee Redemption Fund (hereinafter referred to as 'the Fund') Scheme of the Government of National Capital Territory of Delhi'.
Constitution of the Fund	**2**	A 'Guarantee Redemption Fund' shall be constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter called the Government) for meeting its obligations arising out of the Guarantees issued on behalf of State Level Public Sector Undertakings or Other Bodies. The Fund shall be constituted in the Public Account and classified under the head "**Major Head – 8235– General and Other Reserve**

Funds; Sub Major Head – 00; Minor Head – 117 - Guarantee Redemption Fund" in the accounts of the Government.

Objective of the Scheme

3 The Fund shall be utilised for meeting the payment obligations arising out of the guarantees issued by the Government in respect of bonds issued and other borrowings by the State Level Public Sector Undertakings or Other Bodies and invoked by the beneficiaries.

Explanation

(a) The accumulations in the Fund shall be utilized only towards the payment of the guarantees issued by the Government and invoked by the beneficiary and not paid by the institution on whose behalf guarantee was issued.

(b) The State can avail of short-term accommodation under Special Drawing Facility (SDF) from Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') against the collateral of investment made in GRF for meeting temporary cashflow mismatches, subject to the terms and conditions as fixed by the Bank from time to time.

Commencement of the Operation of the scheme

4 The Scheme shall come into force with effect from the date of the notification.

Contributions to the Fund

5 (a) The Government should make conscious efforts towards building up the GRF corpus to five per cent of the outstanding guarantees within a span of five years from the date of constitution of the Fund.

(b) It is open to the Government to increase the contributions to the Fund at its discretion and also based on its assessment of likely invocation of guarantees. The balance in the Fund shall be increased with periodic contributions made annually or at shorter intervals.

(c) In order to enable transfer of the total amount of contribution to the Fund, the Government would make suitable Budget provision under the Revenue Expenditure side of the budget under the head "Major Head – 2075- Miscellaneous General Services; Sub Major Head – 00; Minor Head – 797 Transfer to Reserve Fund / Deposit Account; 99- Guarantee Redemption Fund, 00, Object Head 63- Inter – account Transfer".

(d) The Government shall not fund its contribution to the Fund out of borrowings from the Bank.

Relationship of the Fund with General Revenues/ Public Account

6 (a) The corpus of the Fund comprises an initial amount demarcated by the Government, annual or other contributions made by the Government thereto as also periodic accretions by way of Guarantee Commission to be collected from the institutions in respect of whose bonds / obligations Government will issue the guarantees, in addition to the income accruing to the Fund.

(b) The Fund shall be kept outside the General Revenues of the Government and shall be utilized only in the manner prescribed in this Scheme.

Administration of the Fund	7	The Fund shall be administered by Central Accounts Section of the Bank subject to such directions/ instructions as the Government may issue from time to time.
Investment of the corpus of the Fund	8	The accretions to the Fund together with the income earned on the investment of the Fund shall be invested in Government of India (GoI) Dated Securities, Treasury Bills, Special Securities of the GoI and State Government Securities of other States of such maturities as the Bank may determine from time to time. The Bank shall make available the securities for investment either from its investment portfolio or by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 11.
Accounting of Transactions	9	(a) The responsibility for the administration of the Fund will rest with the Government. The Government will decide all matters connected with the investment of the corpus of the Fund, reinvestment / dis-investment, obligations and application of the Fund, etc.

(b) The Government will, from time to time, issue instructions to the Bank. The Bank will immediately arrange to make the necessary investment. The Bank would scroll to the Government the debit on account of the investment and other incidental charges like brokerage, commission, etc. in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these may be indicated distinctly in separate scrolls.

(c) On receipt of the scrolls the investment transactions would be accounted for under the head "**Major Head – 2075- Miscellaneous General Services; Sub Major Head – 00; Minor Head – 797 Transfer to Reserve Fund / Deposit Account; Object Head 63- Inter – account Transfer"**. However, the incidental charges like brokerage, commission, etc., shall be accounted for as a charge on the Fund.

(d) The Bank will arrange to collect interest on these securities and credit the same to the Fund on due date. Further, these would require to be invested as in the case of the contributions by the Government i.e., in accordance with the investment norms prescribed in para 8 above.

(e) On maturity of the securities, the proceeds will be collected and credited to the account of the Government or reinvested in accordance with the pattern outlined in para 8 above on the basis of instructions received from the Government. As in the case of the debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls, for the receipts.

(f) On receipt of instructions from the Government, the Bank will arrange to sell the securities at the ruling price and credit the amount realized, less incidental charges, to the account of the Government. If these securities are in loss, Bank may in consultation with the Government decide on the securities to be liquidated.

(g) The receipts on account of maturity or sale of the securities would be taken into the account of the "Guarantee Redemption Fund Investment Account".
The incidental charges on sale would be charged to the Fund.

(h) The provision for expenditure on account of the Guarantee Redemption will be made in the budget of the Government under the relevant heads. Only the actual amount of guarantee redemption expenditure shall be brought in account under the Revenue Expenditure Head "Major Head – 2075-Miscellaneous General Services; Sub Major Head – 00, Minor Head-800 Other Expenditure- Payment of Guarantee Value invoke."

(i) The Bank shall arrange to redeem the securities on maturity. In case of premature disinvestments to meet the liability on account of the claims to be paid, the Bank shall decide on the securities to be liquidated and sell the securities at the ruling price and credit the amount realized, less incidental charges, to the Government account. If these securities are in loss, Bank may in consultation with the Government decide on the securities to be liquidated.

(j) The Government will pay the Bank, a commission at the rate determined by the Bank in consultation with the Government. These charges shall also be borne by the Fund as in the case of the charges indicated in paras 9(c) and 9(g). The loss or gain on the sale of securities shall also be taken to the Account of the Fund.

Explanation

(a) The debit to Government on account of such withdrawal will be accounted under the major head "8235

- General and Other Reserve Fund-117 - Guarantee Redemption Fund – Investment Account". On the maturity of the loan the balance outstanding under the head "8235 - General and Other Reserve Fund-117 - Guarantee Redemption Fund – Investment Account" is credited to the Head "8680-00-101 - Ledger Balance Adjustment Account".

(b) The Bank would scroll to the Government the debit on account of investment less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these will be indicated distinctly in separate scrolls.

(c) The Bank will arrange to collect interest on the

investments and credit the same to the Fund on the due dates.
(d) On the maturity of the securities, the Bank will arrange to redeem the securities and in case of premature disinvestment, to sell the securities at the ruling price and credit the amount realized, less incidental charges to the Guarantee Redemption Fund Investment Account. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(e) The provision for expenditure on account of the periodic contributions will be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the investment.

Functions of the Bank managing the Fund

10 (a) The Bank will be guided by the directions of the Government in all matters concerning the investment / reinvestment / dis-investment / reallocation / withdrawals time to time of the Fund and will act accordingly.

(b) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the schedule of contributions set out in paragraph 5.

(c) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank as indicated in paragraph 8. The periodic accretion to the Fund by way of guarantee commission, contributions by the Government and interest income shall also be invested by the Bank in a similar manner.

(d) 50 per cent of the outstanding corpus held in the GRF as on March 31 of the preceding financial year, or the amount of guarantees invoked during the year (April – March), whichever is less, should be reckoned for arriving at the maximum eligible limit for withdrawal from the GRF during the year. The Government will replenish the corpus before seeking the next withdrawal.

(e) The Bank will submit periodical statement of balances / advices regarding the changes therein in consultation with the Government.

Service charges for administration of the Fund

11 The Government will pay to Bank a commission at the rate of 1/8 per cent of one per cent of the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time.

Account and Audit

12 The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Chief Controller of Accounts / Principal Accounts Office of the State in the normal course. The concerned Department of the Government will maintain subsidiary accounts in such manner and detail as may be considered by the Government in consultation with the Chief Controller of Accounts / Principal Accounts Office.

Savings

13 The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the Scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of the Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions.

By order and in the name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi
SANTOSH D. VAIDYA, PR. Secy. (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.04 15:54:40 +05'30'